

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 721 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:- 2020/01186

अनवान :-

1. सरजीत पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र गंगाराम जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. मंगतुराम पुत्र बीरबल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. बृजलाल बीरबल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री बीरबल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री बीरबल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री बीरबल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 58/58 की कुल 5.0880 हैक् व चक 6 केएनएन के खाता संख्या 85/82 की कुल 2.610 हैक् व 6 केएनएन के खाता संख्या 86/83 की कुल 1.0120 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गंगाराम वल्द पीथाराम के

देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 58/58 की कुल 5.0880हैक व चक 6 केएनएन के खाता संख्या 85/82 की कुल 2.610हैक व 6 केएनएन के खाता संख्या 86/83 की कुल 1.0120हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 58/58 की कुल 5.0880हैक व चक 6 केएनएन के खाता संख्या 85/82 की कुल 2.610हैक व 6 केएनएन के खाता संख्या 86/83 की कुल 1.0120हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि गंगाराम वल्द पीथाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा गंगाराम वल्द पीथाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु

20
उपखण्ड अधिकारी
बोहर


उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1-ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 के एनएन के खाता संख्या 58/58 के प0न0 336/374(56) किला न0 4/1 की 0.0250 हैक् गै.मु.रास्ता 4/2 की 0.2280 हैक् 5/1 की 0.0260 हैक् गै.मु. रास्ता 5/2 की 0.22700 हैक्, 6/0.2530, 7/0.2530, 14 ता 17 प्रत्येक 0.2530, 24/2 की 0.2280, 25/0.2530, प0न0 337/374(57) किला न0 11/0.2530, 12/2 की 0.0510, 19 ता 12 प्रत्येक 0.2530, कुल 3.791 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव तथा प0न0 336/366(14) किला न0 5/1 की 0.0250 हैक् गै.मु.खाला 5/2 की 0.0260 हैक् गै.मु.खाला 5/3 की 0.2020 हैक् व प0न0 337/366(15) किला न0 1, 2, 3, 7 प्रत्येक 0.2530 हैक् कुल 1.2650 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 6 के एनएन के खाता संख्या 85/82 के प0न0 337/376(18) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530 हैक् 6/2 की 0.0030 हैक् गै.मु.रास्ता, 6/3 की 0.0250 हैक् व प0न0 338/376(17) किला न0 2, 3 प्रत्येक 0.2530 हैक् 4/1 की 0.0250 हैक् गै.मु.खाला 4/2 की 0.0260 हैक् गै.मु. खाला 4/3 की 0.2020 हैक् 5/1 की 0.0260 हैक् गै.मु.खाला 5/2 की 0.2270 हैक् 10/2 की 0.0630 हैक् कुल 2.115 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव रहेग एवं प0न0 338/378(29) किला न0 16/0.2530, 25/0.2530, कुल 0.506 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व चक 6 के एनएन के खता संख्या 86/83 की कुल 1.020 हैक् में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हेनुमीगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सरजीत पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. वीरवल पुत्र गंगाराम जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. मंगतुराम पुत्र वीरवल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. बृजलाल वीरवल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री वीरवल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्री वीरवल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री वीरवल जाति जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 721 सन 2020 निर्णय दिनांक- 16/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प0न0 336/374(56) किला न0 4/1 की 0.0250हैक गै.मु.रास्ता 4/2 की 0.2280हैक 5/1 की 0.0260हैक गै.मु. रास्ता 5/2 की 0.22700हैक , 6/0.2530 ,7/0.2530 ,14 ता 17 प्रत्येक 0.2530 ,24/2 की 0.2280 ,25/0.2530 ,प0न0 337/374(57) किला न0 11/0.2530 ,12/2 की 0.0510 ,19 ता 12 प्रत्येक 0.2530 ,कुल 3.791हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव तथा प0न0 336/366(14) किला न0 5/1 की 0.0250हैक गै.मु.खाला 5/2 की 0.0260हैक गै.मु.खाला 5/3 की 0.2020हैक व प0न0 337/366(15) किला न0 1 ,2 ,3 ,7 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.2650हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 85/82 के प0न0 337/376(18) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530हैक 6/2 की 0.0030हैक गै.मु. रास्ता , 6/3 की 0.0250हैक व प0न0 338/376(17) किला न0 2 ,3 प्रत्येक 0.2530हैक 4/1 की 0.0250हैक गै.मु.खाला 4/2 की 0.0260हैक गै.मु. खाला 4/3 की 0.2020हैक 5/1 की 0.0260हैक गै.मु.खाला 5/2 की 0.2270हैक 10/2 की 0.0630हैक कुल 2.115हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव रहेग एवं प0न0 338/378(29) किला न0 16/0. 2530 ,25/0.2530 ,कुल 0.506हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी व चक 6 केएनएन के खता संख्या 86/83 की कुल 1.020हैक में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)